राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ जयपुर
(Phone : 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Helpline 9928900900)
E mail: rj-slsa@nic.in, rslsajp@gmail.com website: www. rlsa.gov.in

क्रमांक : एफ–2(38)/रालसा/पै.अधिव. /DS-I/186 दिनांकः– 01/04/2021

कार्यालय आदेश

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा) संशोधित विनियम, 2018 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरणों एवं तालुका विधिक सेवा समितियों हेतु पैनल अधिवक्तागण के पैनल का गठन इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 300 दिनांक 28.05.2020 एवं 301 दिनांक 28.05.2020 द्वारा किया गया था।

पैनल अधिवक्तागण के द्वारा विगत एक वर्ष में किये गये कार्य की रिपोर्ट के आधार पर माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार पैनल अधिवक्तागण के पैनल का पुनर्गठन कर कार्यकाल दिनांक 31.03.2022 तक के लिए बढ़ाया जाता है:–

क्रं. सं.	जिले का नाम	पैनल अधिवक्तागण की संख्या
1	अजमेर	77
2	अलवर	76
3	बलोतरा	30
4	बांसवाड़ा	21
5	बारां	32
6	भरतपुर	65
7	भीलवाडा	58
8	बीकानेर	59
9	बून्दी	27
10	चित्तौडगढ़	43
11	चूरू	53
12	दौसा	64
13	धौलपुर	24
14	डूंगरपुर	26
15	श्री गंगानगर	63
16	हनुमानगढ़	69
17	जयपुर जिला	58
18	जयपुर महानगर.–I	58
19	जयपुर महानगर –II	57
20	जैसलमेर	16
21	जालोर	21
22	झालावाड़	57
23	झुंझुनूं	58
24	जोधपुर जिला	31
25	जोधपुर महानगर	83
26	करौली	39
27	कोटा	80
28	मेडता	26
29	पाली	53
30	प्रतापगढ	27
31	राजसमन्द	52
32	सवाईमाधोपुर	36
33	सीकर	33
34	सिरोही	27
35	टोंक	50
36	उदयपुर	57
कुल		1706

01.4.21

जिलेवार पैनल अधिवक्तागण की पूर्ण सूची राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट http://www.rlsa.gov.in/ पर अपलोड कर दी गई है।

उपरोक्त पैनल अधिवक्तागण का पैनल निम्नलिखित शर्तों के अधीन कार्य करेंगे:–

1. विधिक सेवा अधिनियम, 1987; राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995; राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 1999; राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं) विनियम, 2010 यथा संशोधित 2018; नालसा, विधिक सेवा क्लिनिक स्कीम; फ्रंट ऑफिस स्कीम एवं अन्य दिशा–निर्देशों तथा स्कीम जो समय–समय पर जारी की गई है कि पालना करना अनिवार्य है।
2. वर्तमान पैनल का गठन एक वर्ष की अवधि के लिए किया गया है (31 मार्च 2022 तक)।
3. पैनल अधिवक्तागण को उनकी प्रार्थना पर पात्र एवं वंचित व्यक्तियों को न्याय दिलाने, उनके प्रकरणों में विधिक सहायता व विधिक परामर्श अथवा मासिक रूप से रिटेनर अधिवक्ता के रूप में सेवा देने, विधिक सेवा कार्यक्रमों में भाग लेने, लोक अदालत के सदस्य, विभिन्न योजनाओं में सदस्य तथा विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संचालित विभिन्न गतिविधियों में सहभागिता हेतु पैनलित किया गया है।
4. पैनलित अधिवक्तागण उनके द्वारा दी गई सेवाओं के अनुसार राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशानुसार मानदेय/प्रतिफल प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।
5. पैनलित अधिवक्तागण को विधिक सहायता प्रकरण उनकी पैनलित सूचीनुसार क्रमवार उनकी योग्यता व अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए आवंटित किए जावेंगे। प्रत्येक पैनल अधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि विधिक सहायता प्राप्त प्रार्थी के प्रकरण के प्रति अपने कार्य का निष्पादन पूर्ण निष्ठा से करें और यदि पैनलित अधिवक्ता के द्वारा अपने कर्तव्यो का त्याग किया जाता है तो ऐसी स्थिति में वह संबंधित प्रकरण से ही नहीं अपितु पैनल से भी हटाए जाने का दायी होगा।
6. प्रत्येक पैनल अधिवक्ता का कर्तव्य होगा कि उन्हें आवंटित प्रकरणों की मासिक प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
7. विधिक सहायता प्रकरण व विधिक सहायता अधिवक्ता पर मॉनिटरिंग करने हेतु प्रत्येक पैनल अधिवक्ता नियमित रूप से आवंटित प्रकरणों की प्रगति रिपोर्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
8. पैनलित अधिवक्तागण ऐसी कोई घोषणा नहीं करेंगे कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा उन्हें आवंटित प्रकरण में विधिक सहयता प्राप्त पक्षकार उसका क्लाइंट है।
9. सभी पैनलित अधिवक्तागण राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित कार्यक्रमों/प्रशिक्षणों में आवश्यक रूप से भाग लेंगे। सभी पैनलित अधिवक्तागण विधिक जागरूकता शिविर, मेगा विधिक चेतना शिविर जो कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित किए जाते हैं उनमें भी भाग लेंगे।
10. **नैतिक और नैतिकता का पालनः** प्रत्येक पैनल अधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि विधिक सहायता आवंटित प्रकरणों में पूर्ण गोपनीयता बरतेंगे और उन्हें अपनी क्षमतानुसार सर्वोत्तम सेवाएं देंगे। पैनलित अधिवक्तागण संबंधित प्राधिकरण/समिति से देय कार्य हेतु मानदेय/प्रतिफल प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, लेकिन विधिक सहायता प्राप्त पक्षकार अथवा उसके संबंधित व्यक्ति से किसी भी प्रकार के खर्चे अथवा वृत्तिक फीस नकद अथवा अन्य किसी भी रूप में न तो लेंगे, न स्वीकार करेंगे तथा ना ही मांग करेंगे। यदि ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होती है/पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में पैनलित अधिवक्ता पैनल से हटाए जाने के अतिरिक्त बार काउंसिल में भी उपयुक्त कार्यवाही हेतु लिखा जावेगा।
11. **पैनल से निष्कासनः** यदि पैनल अधिवक्ता की सेवाएं/प्रदर्शन असंतोषजनक है अथवा पैनल अधिवक्ता किसी भी रूप में दुराचार का दोषी पाया जाता है अथवा अधिनियम, विनियम/नियम का दोषी पाया जाता है तो उसे पैनल से हटा दिया जावेगा।

01.4.21

12. प्राधिकरण, ऐसे पैनलित अधिवक्तागण के कर्तव्यों के दायरे को बढ़ाने व उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 और इसके नियमों, विनियमों और अन्य योजनाओं के तहत् समस्त अधिकार सुरक्षित रखता है।

आज्ञा से

01.4.2021

सदस्य सचिव
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर।

कमांकः– एफ–2(38)/रालसा/पै.अधि./DS-I/Stand/11–62 दिनांकः– 01/04/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. रजिस्ट्रार कम प्रिंसिपल सक्रेटरी, माननीय मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एवं मुख्य–संरक्षक राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर
2. निजी सचिव, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
3. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली।
4. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. श्रीमान निदेशक, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
7. श्रीमान संयुक्त सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
8. श्रीमान विशिष्ट सचिव, मीडियेशन एवं आर्बिट्रेशन, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
9. उप सचिव प्रथम/उप सचिव एपी एण्ड एडीआर, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर।
10. सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर।
11. सचिव, संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, को आदेश की प्रतिलिपि संलग्न कर निवेदन है कि अधिवक्तागण को उपलब्ध करावें।
12. नोडल अधिकारी वेबसाइट
13. लेखा शाखा, कार्यालय हाजा।
14. आदेश/रक्षित/संबंधित पत्रावली।

01/04/2021

निदेशक
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर।